राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं०फा० : डीडीएमए / कोविड–19 / 2021 / 464 **दिनांक : 07.09.2021**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया जा चुका है और इसके प्रसार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 30.08.2021 को आदेश संख्या 463 जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निर्देशित है कि सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / त्यौहारों से संबंधित सभाओं एवं मंडलियों को प्रतिबंधित किया जाता है। आगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं दी जाएगी।

और जबकि, इस माह के दौरान अर्थात सितंबर 2021 में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा तथा कोविड–19 महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभाओं एवं मंडलियों पर मौजूदा प्रतिबंधों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार को सार्वजनिक स्थलों पर मनाने की अनुमति न दी जाए तथा लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस त्यौहार को अपने घर पर ही मनाए।

अब इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अद्योहस्ताक्षरी एतद् द्वारा निर्देश देते हैं कि दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त तथा सभी संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी भक्त टैंटों / पांडालों / सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित न करें; न ही इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शोभा–यात्रा की अनुमति दी जाएगी तथा लोगों को गणेश चतुर्थी का त्योहार अपने घरों पर ही मनाने हेतु सलाह / प्रोत्साहन दिया जाता है। आगे, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी धार्मिक / सामाजिक स्थान पर किसी भी स्थिति में भीड़ एकत्रित न हो।

दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट एवं उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त तथा सभी संबंधित प्राधिकारी इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं क्षेत्राधिकारियों को इन निर्देशों के सख्ती से अक्षरशः अनुपालन करने के लिए पर्याप्त रूप से सूचित एवं सचेत करेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस उपायुक्त धार्मिक / सामुदायिक नेताओं / गणेश चतुर्थी त्योहार समितियों के साथ त्योहार से पहले कानून, व्यवस्था एवं सद्भाव बनाए रखने हेतु उनके

सहयोग को प्राप्त करने के लिए बैठक का आयोजन करेंगे तथा सरकार द्वारा कोविड–19 से निपटने के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों के अनुपालन के लिए जनता को सचेत भी करेंगे। संबंधित प्राधिकारी इस आदेश तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने वालों पर जुमार्ना लगाने सहित उचित कार्रवाई करेंगे।

हस्ता0/–

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
3. अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।
7. सचिव (आई एंड पी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में व्यापक प्रचार हेतु।
8. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
9. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
10. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।
11. निदेशक, डीजीएचएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय सामान्य प्रशासन विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर सचिव (गृह)/कोविड–19 हेतु राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के समस्त सदस्य।
11. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त, कार्यालय दिल्ली, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाइल।